कमार

एक विशेष पिछड़ी जनजाति

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़
2020

प्राक्कथन

भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से कुछ निश्चित जनजातीय समुदायों को विशिष्ट मापदण्डों यथा स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यून साक्षरता दर, कृषि की आदिम तकनीक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर देश में 75 जनजातीय समुदायो को विशेष पिछड़ी जनजाति (Particularly Vulnerable Tribal Groups) घोषित किया गया है। जिसमें से कमार छत्तीसगढ़ राज्य की 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक प्रमुख जनजाति है।

कमार जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी एवं कांकेर जिले में प्रमुखता से निवासरत है। ये निवासक्षेत्र के आधार पर बुंदरजीवा एवं पहाड़िया समुह मे विभक्त है। इनमें नेताम, मरकाम, मरई, सोरी आदि गोत्रनाम पाये जाते है, यह पितृवंशीय समुदाय है।

कमार जनजाति की अर्थ व्यवस्था मुख्यत: परम्परागत रूप से बांस–बर्तन बनाने के साथ–साथ कृषि, वनोपज संकलन, पशुपालन, मजदूरी आदि पर आधारित है। इनमें ठाकुर देव, भीमा देव, मागरमाटी, शीतला माता एवं पूर्वज देव को पूजा जाता है। माटीजात्रा, बीजबोनी, नवाखाई, माता पहुंचानी आदि इनका प्रमुख त्यौहार है।

शासन द्वारा इनके समग्र विकास हेतु कमार विकास अभिकरण एवं प्रकोष्ठ गठित कर विभिन्न विकासमूलक योजनाएं संचालित की जा रही है।

छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजातियों के ''**छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला**'' के अन्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा **कमार जनजाति के जीवनशैली पर आधारित फोटो हैण्डबुक** प्रकाशित की गई है। हम आशा करते है कि, संस्थान के संचालक के मार्गदर्शन में अनुसंधान दल द्वारा तैयार की गई इस पुस्तिका में दर्शित तथ्य राज्य के संबंधित जनजाति समुदाय एवं जनजातीय संस्कृति में रूचि रखने वाले लोगों के लिए लाभप्रद एवं उपयोगी होगी।

शम्मी आबिदी IAS
संचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

डी.डी.सिंह IAS
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

कमार

एक विशेष पिछड़ी जनजाति

मार्गदर्शन – शम्मी आबिदी, संचालक

प्रस्तुतिकरण – डॉ. अनिल विरूलकर

सहयोग – अमरदास

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

परिचय

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु 42 जनजातीय समुदायो एवं उसके उपजातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्य करते हुए उनमें से 5 अनुसूचित जनजाति समूहो को विशिष्ट लक्षण आधारित मापदण्ड यथा स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यून साक्षरता दर, कृषि की आदिम तकनीक एवं आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है जिसमें से कमार अनुसूचित जनजाति एक है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का संकेद्रण मुख्यत: राज्य के गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद एवं कांकेर जिले में है। कमार जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, नगरी, मगरलोड, महासमुंद एवं

बागबाहरा विकासखण्डों के छोटे–छोटे ग्रामों एवं पहाड़ियों की तराइयों एवं जंगलों के नाले एवं जल स्त्रोतों के निकट निवासरत हैं।

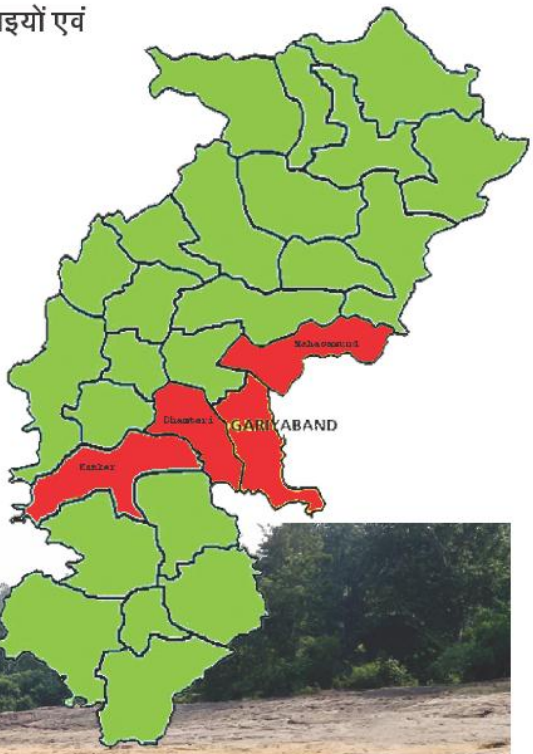

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार छ.ग. राज्य में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या 26530 है। जिसमें पुरूष जनसंख्या 13070 एवं स्त्री जनसंख्या 13460 है। इनमें स्त्री–पुरूष लिंगानुपात 1030 है। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति की राज्य में साक्षरता दर 38.79 प्रतिशत है जिसमें पुरूष साक्षरता दर 47.70 प्रतिशत एवं स्त्री साक्षरता दर 30.15 प्रतिशत है।

उत्पत्ति

कमार जनजाति के लोग मान्यतानुसार अपनी उत्पत्ति देवडोंगर से मानते हैं, उनका सबसे बड़ा देवता आज भी देवडोंगर के ''**वामन डोंगरी**'' में स्थापित है, जिसे वामन देव के नाम से जानते हैं। सामान्यत : कमार स्वयं को **पहाड़िया** भी कहते हैं। क्योंकि इनके पूर्वज घने जंगलों के पहाड़ों में अपना जीवन यापन करते रहे हैं। एक अन्य किवदंती अनुसार जब भगवान महादेव सभी मानव जाति को दान दे रहे थे तब सबसे अंत में एक शेष व्यक्ति को तीर–कमान दान में देकर उससे अपनी जीविका चलाने को कहा कालांतर में उसके वंशज कमार कहलाये।

कमार जनजाति की अपनी एक विशिष्ट बोली है जिसे **कमारी बोली** कहा जाता है। नगरी–सिहावा क्षेत्र जो बस्तर क्षेत्र के संपर्क में उनकी बोली में बस्तर क्षेत्र की हल्बी भाषा का पुट मिलता है वहीं गरियाबंद जिले के मैनपुर एवं देवभोग विकासखण्ड के कमार ग्रामों की कमारी बोली में उड़िया क्षेत्र का प्रभाव परिलक्षित होता है। शेष छुरा गरियाबंद तथा अन्य मैदानी क्षेत्र के कमारी बोली में स्थानीय छत्तीसगढ़ी बोली का प्रभाव दिखाई पड़ता है। धीरे–धीरे मूल कमारी बोली बोलने वाले कमार परिवारों की संख्या में कमी आ रही है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति पूर्व में वन भूमि पर लगे वृक्षों को जलाकर उसकी राख में अनाज के बीज छिड़ककर आदिम पद्धति से कृषि कार्य करती थी जिसे ''**बेवरा खेती**'' या ''**डहिया खेती**'' कहते हैं। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति परम्परागत रूप से जीविकोपार्जन हेतु बांस बर्तन निर्माण पर निर्भर करते हैं।

कमारों की शारीरिक संरचना सुगठित होती है पुरूष इकहरे बदन के एवं औसत कद काठी के होते हैं। क्षेत्र के अधिकांश ग्रामों में कमार जनजाति गोंड, बिंझवार, भुंजिया, कंवर जनजातियों के साथ निवासरत हैं जबकि अनेक ग्रामों में शत्प्रतिशत कमार स्वजातीय निवासरत हैं।

बसाहट एवं आवास

कमार बसाहट घने जंगलों, पहाड़ियों एवं तराईयों में नदी–नालों के किनारे प्रमुखता से पायी जाती है जो उनका वन संपदा एवं प्रकृति से निकट संबंध को दर्शाता है। कमार ग्राम का आकार प्राय: लम्बवत् या गोलाकार लिये हुए होता है। इनके ग्रामों में **तेंदू, चार, महुआ, साल, ईमली** आदि के वृक्षों की अधिकता होती है। आवागमन हेतु ग्राम में छोटी–छोटी पगडंडिया व कच्चे रास्ते होते हैं। कमारों की बसाहट पहाड़ों के उपर भी है जहां दुर्गम पहाड़ी रास्ते से उन तक पहुंचा जा सकता है। पहाड़ों के ऊपर कमार जाति के सामान्यत: 30–40 परिवारों के अनेकों ग्राम अवस्थित है, जहां इनके आवास एक दूसरे से फैले हुए होते हैं।

सामान्य मैदानी एवं वन क्षेत्रों के ग्रामों में नदी–नाले, कुंआ, हेण्ड पम्प आदि पेयजल के स्त्रोत हैं जबकि पहाड़ी एवं दूरस्थ पहुंच विहीन ग्रामों में **झरिया कुँआ** आदि के पानी का उपयोग पीने के लिये किया जाता है।

कमार जनजाति में आवास निर्माण में धार्मिक कर्मकाण्डों एवं अलौकिक शक्तियों के प्रति विश्वास का विशेष महत्व है। आवास निर्माण के पूर्व भूमि चयन की विधि में उक्त चिन्हित भूमि पर ग्राम देव एवं धरती माता की पूजा अगरबत्ती जलाकर एवं नारियल फोड़कर की जाती है तथा उक्त स्थान पर चांवल के 21 दानों को रात भर के लिए छोड़ दिया जाता है दूसरे दिन प्रात: तक चांवल के दाने उसी अवस्था में पाये जाते हैं तो भूमि को आवास योग्य मानते हुए उक्त भूमि का चयन घर बनाने हेतु कर लिया जाता है।

कमार जनजाति के आवास प्राय: फैले हुए व अन्य दूसरे घर से थोड़ी दूरी पर होते हैं। प्राय: कमार जनजाति गावं में आठ से दस घर मिलकर एक डीह (समूह) बनाकर भी निवास करते हैं। जिसे ''**कमार डीह**'' ''**कमारपारा**'', ''**कमार टोला**'' तथा पहाड़ी या ऊंचाई पर बसे हुए घरों के समूह को ''**ऊपरपारा**'' आदि नामों से जाना जाता है। आवास में दरवाजा प्राय: सेन्हा या आम की लकड़ी से स्वयं के द्वारा बनाते हैं। दीवाल का निर्माण बांस या लकड़ी की दिवाल बनाकर उस पर मिट्टी का लेप लगाकर किया जाता है। अधिकांश घरों की दिवारे मिट्टी की, छत खपरैल या घास–फूस (खदर) की होती है। कमार जनजाति के आवास सामान्यत: 1–2 कमरों के होते हैं प्राय: घर के सामने एक बरामदा होता है जो झोपड़ीनुमा दिखाई देते हैं।

कमार जनजाति के आवास में सामान्यत: एक मात्र मुख्य द्वार होता है। इनके आवास में साग–भाजी उगाने के लिए बाड़ी प्राय: कम ही देखने को मिलती है। गाय, बैल, सुअर, बकरी, मुर्गी आदि पशुओं की उपलब्धता के आधार पर इनके रखने के लिए लकड़ी या मिट्टी निर्मित **कोठा** का निर्माण मुख्य आवास से लगा हुआ बनाया जाता है।

इनके आवास के एक कमरे के कोने पर पूर्वज देव का स्थान निश्चित होता है इस कक्ष को ''**पीतर कुरिया**'' (पूर्वज देव घर) कहा जाता है इनके आवास में मुख्यत: ''**माई घर**'' में पूर्वज देव व अन्य देवी देवताओं का स्थान होता है। तथा कमरे के एक कोने में या सामने बराण्डा में एक ओर रसोई होती है।

भौतिक संस्कृति

घरेलु उपयोग की वस्तुओं के रूप में भोजन पकाने के लिए स्वनिर्मित मिट्टी के एक अथवा दो मुंहे चुल्हे बनाये जाते है। अनाज पिसने या कुटने के लिए **जांता या ढेंकी** का उपयोग प्राय: सभी घरों में किया जाता है। भोजन रखने एवं बनाने के लिए मिट्टी पात्र के अलावा कांसे की बटकी थाली एवं कुछ मात्रा में गिलास, कटोरी आदि होते है।

इनके पास मिर्च हल्दी पिसने के लिए पत्थर का **सील लोहड़ा**, साग बनाने कड़ाही, अनाज रखने बांस की बनी **कोठी, हसियां, हांड़ी, कन्नौजी, चूल्हा, थाली, चलनी, पाटा, छुरी**, बांस की स्वनिर्मित **चाप** (चटाई), **सुपा, टुकना-टुकनी** (टोकरा–टोकरी), **बाहरी**

(झाड़ु), **जांता** आदि प्रमुख है।

धान रखने के लिए पैरा की मोटी रस्सी का बना गहराई युक्त घेरा या बांस की तीलियों से बना गहरा घेरा बनाकर मिट्टी से दोनों ओर से लेप कर ''**कोठी**'' बनाई जाती है। साथ ही अन्य वस्तुओं के संग्रहण हेतु बांस की टोकनी, सूपा, बांस की ''**चाप**'' (चटाई), पानी भरने मिट्टी एवं एल्यूमिनियम के दो से तीन ''**कसेला**'' मटकी या गुंडी, दो से तीन बिछौने तथा पहनने के कपड़े, पकी हुई दाल निकालने लोहे का ''**करछुल**'' (चम्मच) स्वजातीय अतिथियों के पांव पखारने के लिए लौकी को सुखाकर बनाये गये ''**तुमड़ी**'' का उपयोग किया जाता है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति वर्तमान में कृषि कार्य हेतु पारंपरिक उपकरणों जैसे जमीन जोतने के लिए **नांगर, नांगर-जुड़ा**, जमीन समतलीकरण हेतु **कोपर**, धान कटाई हेतु **हसिया**, धान की बालियों को खेत से मिंजाई हेतु

घर पर लाने के लिए **भारा** (कांवर), मिंजाई हेतु **दौरी या बेलन** (लकड़ी का बेलनाकार गोला), धान से पैरे को अलग करने हेतु कलारी, मिंजाई पश्चात पैरे के बुरादे को धान से अलग करने के लिए सुपा–पंखा आदि उपकरणों के साथ–साथ गैंती, रापा का भी उपयोग किया जाता है। प्रमुख अर्थोपार्जन का साधन बांस–बर्तन निर्माण हेतु छुरी, टंगिया, बोरगी, हंसिया, बसुला आदि का उपयोग किया जाता है।

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों द्वारा समय समय पर शिकार किया जाता है। पूर्व में कमार जनजाति द्वारा वर्ष में एक बार तिथि निर्धारित कर सामुहिक शिकार के लिए जाया जाता था वर्तमान में यह परम्परा सांकेतिक रूप

से विद्यमान है। शिकार हेतु उपयोग किये जाने वाले उपकरण के रूप में **धनउ-काड़**, (धनुष–बाण), तार **फांदा, गुलेल, टांगी** (टंगिया), **मछली पकड़ने का झाल, छापर, काटा, चोरिया, बीटो,**

कमार जनजाति घने जंगलों एवं पहाड़ियों में मुख्यतया निवासरत है। मोटे अनाज कोदो, कुटकी, मड़िया, मक्का (जोंधरा) उड़द, कुल्थी एवं मोटा धान का सीमित उत्पादन प्राप्त करते हैं। इनका मुख्य भोजन भात दाल या साग है। दाल या साग की अनुपलब्धता होने पर भात के साथ सुखी लाल मिर्च की चटनी के साथ भी बड़े चांव से भोजन किया जाता है। कोदो, चांवल या मड़िया की **पेज** कमार लोग बड़े चाव से उपभोग करते हैं। कमार जनजाति वनों से प्राप्त जंगली साग–भाजी **चरोटा, कोलियारी, फुटु, करील, महुआ लाटा** आदि का संकलन कर उपभोग करते हैं। शिकार से प्राप्त छोटे जीव जन्तुओं, नदी नाले से पकड़ी गई मछली तथा चूहा आदि का उपभोग बड़े चाव से करते हैं। उपलब्धतानुसार तथा त्यौहारों, धार्मिक कर्मकाण्डों एवं अतिसंस्कार में बकरा, मुर्गा आदि का उपभोग करते हैं।

मादक पेय पदार्थ के रूप में प्राय: दैनिक रूप से महुए की बनी कच्ची शराब मंद का सेवन स्त्री एवं पुरूष सभी करते हैं। महुए की मंद इनके सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों एवं दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। पुरूष वर्ग विशेष रूप से वृद्ध पुरूष तेंदूपत्ते में तम्बाखू लपेट कर ''चोंगी'' पीना पसंद करते हैं।

आर्थिक जीवन

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का आर्थिक जीवन मुख्य रूप से वनों पर निर्भर है। पूर्व में यह समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर वनों को जलाकर उस पर अनाज के बीज छिड़ककर आदिम कृषि करते थे। जिसे ''**बेवरा खेती**'' या ''**डहिया खेती**'' कहा जाता है। इस पद्धति में मुख्यतया धान, मड़िया, कोसरा, उड़द आदि की फसल ली जाती थी। वर्तमान में कमार जनजाति आदिम तकनीक से स्थायी कृषि करते हैं। चूंकि उनकी कृषि की आदिम पद्धति में उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग तथा एक आदर्श कृषि के चरण जैसे खेतों की समुचित जुताई, निदाई आदि नहीं करते हैं।

कमार जनजाति में कृषि कार्य का प्रारंभ माह जून–जुलाई में एवं फसल की कटाई माह अक्टूबर–नवम्बर में किया जाता है। फसल कटाई के पूर्व वन देवता एवं धरती माता को धान की बाली अर्पित कर पूजा पाठ करते हैं। फसल कटाई कर कटे हुए धान की मिजाई सामान्यत: परंपरागत **दौरी या बेलन** से करते हैं दौरी विधि में फैलाये गये कटे हुए धान पर चार पांच की संख्या में गाय, बैल, भैंस को बार–बार घुमाया जाता है जिससे धान के बीज अलग हो जाते हैं।

मिंजाई के पूर्व कमार जनजाति ठाकुर देव व अपने पूर्वज देव को नई फसल घर पर आने हेतु धन्यवाद स्वरूप उन्हें नारियल, मुर्गा/मुर्गी या सुअर आदि की ''**पुजई**'' (बली) देकर धार्मिक कर्मकांड करते हैं। कृषि उत्पादन के रूप में कमार जनजाति कोदो, कुटकी, धान मक्का या जोंधरा, उड़द, मूंग, कुल्थी का उत्पादन करते हैं।

कमार जनजाति कृषि के अलावा मुख्य रूप से अपने परंपरागत व्यवसाय बांस–बर्तन निर्माण पर जीवविकोपाजन हेतु निर्भर है। अधिकांश कमार परिवार में प्राय : सभी सदस्य (स्त्री–पुरूष) बांस–बर्तन निर्माण कला में पारंपरिक रूप से दक्ष होते हैं। बांस–बर्तन के रूप में कमार बांस निर्मित **झौंहा, टोकरी, सूपा, चाप (चटाई) तथा विवाह में उपयोगी बांस का पंखा, झांपी, पर्रा तथा मौर** इत्यादि बनाने का कार्य भी करते हैं।

बांस–बर्तन निर्माण हेतु कच्ची सामग्री के रूप में **कच्चा बांस** (हरा बांस) लाने प्राय : कमार पुरूष स्थानीय वनों से बांस काटकर अपने घर लाता है। वनों में बांस इत्यादि की कमी होने के कारण इन्हें दूर–दराज के जंगलों पहाड़ों में भी जाना पड़ता है।

महिलाएं साप्ताहिक हाट बाजारों में भी स्वयं निर्मित बांस–बर्तनों का विक्रय एवं विनिमय करती हैं तथा उससे प्राप्त रूपयों से साप्ताहिक दैनिक उपभोग की वस्तुएं एवं साग–भाजी बाजार से खरीदती हैं। कमार विशेष पिछड़ी जनजाति का आर्थिक जीवन वन आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है।

वनोपज संकलन के रूप में वनों में उपलब्धतानुसार **महुआ, टोरी, तेंदूपत्ता, साल बीज, कोसम बीज, चार-चिरौंजी, गोंद, हर्रा बेहड़ा, आंवला, बैचान्दी** ईंधन हेतु लकड़ी आदि का संकलन करते हैं जिसका वे स्वयं उपभोग एवं विक्रय कर अर्थोपार्जन करते हैं। कमार जनजाति की वन आधारित अर्थव्यवस्था में महुआ, तेंदूपत्ता एव साल बीज के संकलन एवं विक्रय का महत्वपूर्ण योगदान है।

वनोपज संकलन में प्राय: कमार स्त्री एवं बच्चों की भूमिका विशेष होती है। तेंदूपत्ते के मौसम (अप्रैल–मई माह) में प्राय: कमार महिलाएं भोर होते ही जंगलों मे तेंदूपत्ता तोड़ने निकलती है। साग–भाजी के रूप में आम, जामुन, तेंदूफल, केउ कांदा, पीतकादा, करू कांदा, बैचांदी, करील, कोलियारी भाजी, चरोटा भाजी आदि का संकलन कर दैनिक उपभोग हेतु उपयोग में लाते हैं।

कमार जनजाति में पशुपालन प्राय : कम है कुछ घरों में गाय, बैल, केवल कृषि उद्देश्यों हेतु रखा जाता है बकरी, सुअर मुर्गी आदि को स्वयं उपभोग विक्रय एवं सामाजिक धार्मिक क्रियाकलापों में ''**पुजई**'' आदि उद्देश्यों से पाला जाता है। शासकीय अथवा निजी क्षेत्रों में कमार जनजाति के वयस्क स्त्री एवं पुरूष क्षेत्र में कार्य की उपलब्धतानुसार मजदूरी कार्य में भी संलग्न रहते हैं।

कमार जनजाति की अर्थव्यवस्था में शिकार का महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्व में कमार जनजाति **डहिया कृषि** के साथ–साथ धनुष–तीर से छोटे जंगली जीव–जंतुओं का शिकार करती थी किन्तु वर्तमान में शिकार में निरंतर कमी आयी है। अब कमार जनजाति के लोग छोटे पक्षियों आदि का शिकार मनोरंजन के दृष्टिकोण से करते हैं। चूंकि कमार जनजाति की मुख्य बसाहट नदी नालों के समीप है अत: मत्स्याखेट में विशेष रूचि रखते हैं। समुदाय के पुरूष एवं बच्चे समुह बनाकर एक तिथि तय कर जंगल देव की पूजा करने के उपरांत सामूहिक शिकार के लिए जाते हैं। प्राप्त शिकार को जंगल में ही बराबर मात्रा में वितरित किया जाता है या सामूहिक भोज के रूप में उपयोग किया जाता है।

सामाजिक संगठन

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति बुंदरजीवा एवं पहाड़िया दो उपजाति में विभक्त है। मैदानी क्षेत्र में निवासरत कमार ''**बुंदरजीवा**'' कहलाते हैं तथा घने जंगलों पहाड़ों में रहने वाले **पहारिया या पहारपटिया** कमार कहलाते हैं। कमार जनजाति में विभिन्न गोत्र नामों यथा **नेताम, मरकाम, मरई, सोढ़ी, जगत, कुंजाम, छेदईहा, धनुधारी, फूलझरिया, ठाकुरिया पहारिया, मंडावी, पड़ोती, नाग, कौड़ो** आदि में विभक्त है। प्रत्येक गोत्र समूह के समस्त लोग अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं तथा आपस में बंधुत्व का भाव रखते हैं।

कमार जनजाति एक बहिर्विवाही समुदाय है अतः एक ही गोत्र में विवाह संबंध निषेध है। कमार जनजाति के परिवार प्रायः केन्द्रीय परिवार है जिसमें पति–पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। विवाह पश्चात पुत्र पिता के आवास के समीप नया आवास बनाता है तथा परिवार के सत्ता की धूरी पिता होता है तथा संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र की ओर होता है अर्थात् कमार जनजाति पितृवंशीय पितृसत्तात्मक तथा पितृस्थानिक

समुदाय है। इनमें रक्त संबंधी एवं विवाह संबंधी नातेदारी पायी जाती है। तथा परिहास एवं परिहार संबंधों का पालन किया जाता है। कमार परिवार में परिवारिक निर्णयों एवं आर्थिक क्षेत्र में कमार महिलाएं स्वतंत्र हैं।

इनके सामाजिक संगठन में समाज या जाति प्रमुख का स्थान महत्वपूर्ण होता है। **प्रमुख/पटेल/गौटिया** का पद प्रायः सभी ग्राम स्तर पर होता है जो प्रायः जाति का वृद्ध एवं जानकार व्यक्ति होता है। सामाजिक नियमों का पालन निर्धारित करने व उन पर निर्णय लेने हेतु कमार लोगों की विशिष्ट निर्भरता होती है।

जीवन संस्कार

गर्भवती कमार स्त्री को नदी पार नहीं करने, पेड़ पर नहीं चढ़ने जैसे आदि निषेधों का पालन करना पड़ता है। प्रसव कार्य मुख्य आवास के बाहर किया जाता है। नाल (**बोमला**) काटने के कार्य विपरीत गोत्र (**नानी पक्ष**) द्वारा किया जाता है। नवजात शिशु लड़का हो तो **तीर** से एवं लड़की हो तो **कहरा** से नाल काटते हैं। इनमे छट्ठी एवं बरही की रस्म होती है। प्रसव पश्चात प्रसवा को छिंद कांदा, कुलथी, काके की छाल, लहसुन व अन्य जड़ी बुटियों को उबालकर तैयार किये गये काढ़ा को अनिवार्य रूप से पिलाया जाता है जिसे ''काकेपानी'' कहा जाता है। प्रसवा का दर्द कम होने, नवजात शिशु के लिए दूध की पर्याप्त मात्रा शरीर में बनाने तथा प्रसूता की प्रसव से उत्पन्न कमजोरी को दूर करने हेतु ''काकेपानी'' पीने को दिया जाता है।

कमार जनजाति में लड़के की दाढ़ी मूंछ उग आने एवं अन्य आर्थिक उपार्जन के कार्य सम्पादित करने लायक हो जाने तथा लड़की का प्रथम मासिक धर्म (**मुड़े पानी पड़ियों**) प्रारंभ हो जाने उपरांत उन्हें विवाह योग्य माना जाता है। इनमें विवाह प्रस्ताव लड़के पक्ष द्वारा रखा जाता है तथा विवाह की बातचीत तय होने पर ''**सुकधन**''**या महला** (वधु मूल्य) के रूप में चावल, दाल, महुए की शराब एवं नगद रूपया वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को

दिया जाता है। विवाह हेतु बुआ (आता) की लड़की को प्राथमिकता दी जाती है। इनमें विवाह सामान्यत: तीन दिन का होता है। विवाह संस्कार परिवार या समाज बुजुर्ग अनुभवी संबंधी के द्वारा संपन्न कराया जाता है। विवाह स्थल पर **महुआ की लकड़ी** का मड़वा गड़ाया जाता है। उक्त मड़वा की लकड़ी को वर या वधु के मामा या जीजा या फूफा के द्वारा जंगल जाकर उस वृक्ष की पूजा कर लाया जाता है। विवाह संस्कार में पूछनी, महला, हरिहर मांडो, भीतरपूजा, तेल उतरई, बारात, विदाई, चौथिया, मृगमारन आदि रस्में है।

विवाह स्थल पर बनाये गये मंडप (**मांडो**) को जाम (अमरूद), महुआ या सेन्हा वृक्ष की पत्तियों से अनिवार्यत: सजाया जाता है। कमार जनजाति में ममेरे–फुफेरे विवाह संबंध को प्राथमिकता दी जाती है तथा घरजिया (घर जमाई), गुरावट, पैठू, चूड़ी विवाह आदि सामाजिक मान्यता प्राप्त विवाह संबंध है। कमार जनजाति के विवाह में वर पक्ष द्वारा जब वधु को अपने घर लाया जाता है उस दिन सांकेतिक रूप से घर पर शिकार करने की रस्म की जाती है जिसे ''**मृग मारना**'' कहा जाता है।

कमार जनजाति आत्मावादी है। इनमें मृतक को दफनाया जाता है। मृतक का सिर उत्तर दिशा एवं पैरदक्षिण दिशा में रखा जाता है। इनमें शोक–तीन दिनों का होता है। तीज नहावान के बाद छुआ हटाने घर पर हल्दी पानी छिड़का जाता है। पांचवे या तेरहवें दिन मृत्यु भोज दिया जाता है।

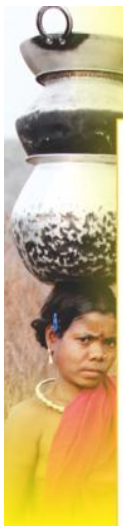

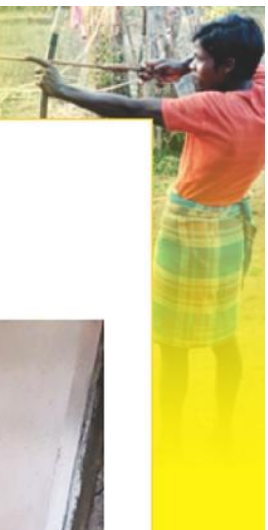

धार्मिक जीवन एवं त्यौहार

कमार जनजाति आत्मावादी प्रकृति का समुदाय होने के साथ–साथ आदिम प्राकृतिक धर्म को मानने वाले समुदाय है। कमार जनजाति अपने जीवन में होने वाले पारलौकिक घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से विभिन्न अवसरों पर करते हैं। इनके देवी–देवताओं में **कचना धुरवा** (कमारों के राजा जिसे देव रूप में पूजा जाता है) **वामन देव, जात्रा त्यौहार** के दौरान बकरे, मुर्गे की बलि देकर पूजा जाता है। **भीमादेव** (इनका निवास सरई वृक्ष के नीचे होता है) **हिंगलाज** (देवी को खैरा बकरा की भेंट दी जाती है)

गुरमाटी/मागरमाटी (भूमि देवता), जंगल देवता तथा पूर्वज देव **माता डूमा** (जन्म, विवाह आदि अवसरों पर तथा विशिष्ट अवसरों पर इनकी पूजा की जाती है) कमार ग्रामों में गांव की सीमा के आसपास **ठाकुर देव, शीतला माता** आदि का पूजन स्थल सांकेतिक रूप से साजा या पीपल के वृक्ष के नीचे पत्थरों के प्रतीकात्मक रूप में रखा जाता है जहां विभिन्न अवसरों पर ''**झाखर**'' (पुजारी) एवं ग्राम के कमार सदस्यों द्वारा पूजा की जाती है।

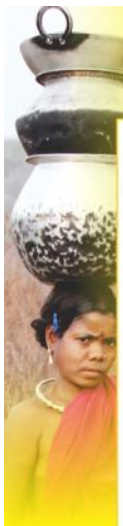

कमार जनजाति में तंत्र–मंत्र, जादू–टोना, भूत–प्रेत आदि अलौकिक शक्तियों पर भी विश्वास पाया जाता है। किसी भी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता या आपदा आने पर कमार जनजाति अपने ईष्ट देव का नाराज होना, निषेधों का उल्लंघन करना, पूर्वजों का कुपित होना, पूर्वजों की आत्मा का शांत न होना, नजर लगना, टोटका लगना या भूत प्रेत लगना मानते हुए स्थानीय लोक चिकित्सक या **झाखर, गायता, गुनिया, बैगा** आदि के माध्यम से उपचारित करने का प्रयास करते हैं।

कमार जनजाति के स्थानीय त्यौहारों का संबंध भी इनकी धार्मिक व्यवस्था एवं अलौकिक शक्तियों पर विश्वास को प्रदर्शित करता है। कृषि कार्य से संबंधित त्यौहारों में **बीज बोनी** त्यौहार होता है जिसमें धान के बीच को पीतर देव आदि के समक्ष रख कर नारियल अगरबत्ती से पूजा कर रखा जाता है तथा दूसरे दिन उस धान के बीज को अपने कृषि भूमि में ले जाकर गुरमाटी या भूमि देव को सुअर या मूर्गा या बकरे की ''**पुजई**'' (बलि) तथा महुए की मंद की तर्पनी (अर्पित) करते हुए अच्छी फसल की कामना करते हुए धान बुआई का कार्य प्रारंभ करते हैं। नई फसल आने के बाद उक्त अनाज का उपभोग करने के पूर्व निकट संबंधियों को आमंत्रित कर अनाज पकाकर पूर्वज देव को भेंट चढ़ाकर **नवाखाई** का उत्सव मनाया जाता है। आषाढ़ माह में **माता पहुंचानी** का त्यौहार मनाया जाता है जिसमें **झाखर** की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पूर्वजों की आत्मा शांति के उद्देश्य से कुछ वर्षों के अंतराल में **जात्रा उत्सव** मनाते हैं। जात्रा में महिलाएं सम्मिलित होती हैं किन्तु बलि आदि के खान–पान में सम्मिलित नहीं होती है।

यह उत्सव ग्राम के बाहर किसी तय जगह पर किया जाता है जात्रा का त्यौहार पूर्वजों के लिए गोत्र समूह अनुसार किया जाता है तथा एक अन्य त्यौहार **देव जात्रा** जिसमें ग्राम देव की पूजा हेतु समस्त गोत्र समूह के लोग शामिल होते हैं जिसमें अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा का सामान मुर्गा–मुर्गी तथा महुआ की मंद लेकर आते हैं। जात्रा का उद्देश्य ग्राम में शांति, आरोग्य एवं प्राकृतिक आपदा से बचने के उद्देश्य से किया जाता है।

उपरोक्त के अलावा कमार जनजाति में हरेली, दशहरा, फागुन आदि त्यौहार भी मनाये जाते हैं। कमार जनजाति के लोकगीत–नृत्य में बिहाव गीत फागुन आदि प्रमुख है।

कमार जनजाति की महिलाएं एवं अविवाहित युवतियों का साज–श्रृंगार एवं आभूषणों के प्रति विशेष लगाव देखा जाता है।

सामान्यतः साप्ताहिक हाट–बाजार में महिलाएं एवं युवतियां गीलेट, पीतल, कांच एवं प्लास्टिक से बनी रंग बिरंगी आभूषणों, बिंदी, टिकली आदि के तरफ आकर्षित होती दिखाई पड़ती है। आभूषणों में कमार जनजाति की महिलाएं एवं युवतियां **सुता, ऐंठी, पैरी, खिनवा, पहुंची** आदि धारण करती है।

गोदना गुदवाने में महिलाओं में अत्यधिक रूचि दिखाई देती है तथा इसे व्यक्तिगत सौंदर्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। इनमें गोदना गुदाने की प्रथा अनिवार्य रूप से पायी जाती है।

गोदना विवाह पूर्व या छोटी उम्र में कराया जाता है। स्त्रियां इसे अपना स्थायी आभूषण मानती हैं तथा इसे अपने माता–पिता की पहचान के रूप में अपने शरीर पर विभिन्न आकृतियों में घूटनों के नीचे, हांथों में, बांह में, नाक पर, ठूडडी में प्राय: गुदवाती है। गोदना गोदने का कार्य देवार जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। गोदने के बदले कमार जाति द्वारा उन्हें सूखा चावल या नगद पैसे या अन्य वस्तु के रूप में मेहनताना देते हैं।

राजनीतिक संगठन

कमार जनजाति के ग्रामों में उनकी जाति पंचायत व्यवस्था होती है उसका प्रमुख **मुखिया** कहलाता है। सामान्य जातिगत विवादों, आपसी मनमुटाव, लड़ाई–झगड़े, भूमि संबंधी विवाद, चोरी एवं ग्राम स्तर पर सामाजिक–सांस्कृतिक आयोजन जैसे विषयों पर जाति पंचायतों की बैठकों में निर्णय लेकर मामलों को सुलझाया जाता है। क्षेत्र के दस–बारह गांव मिलाकर एक क्षेत्रीय स्तर के जाति पंचायत का निर्माण किया जाता है। जिसमें कमार जाति से संबंधित सामाजिक नियमों का उल्लंघन, अंतर जातीय विवाह, अनैतिक संबंध आदि पर सामाजिक नियमों के अनुरूप जाति पंचायत के मुखिया एवं पंच आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं। जाति पंचायत व्यवस्था में अर्थदण्ड, भोज, सामाजिक बहिष्कार जैसे दण्ड का प्रावधान है। कमार जनजाति के सामान्य लोग अपने मुखिया द्वारा बनाये गये सामाजिक नियमों एवं निर्देशों का पालन करते दिखलाई पड़ते हैं। जाति पंचायत के मुखिया का पद प्रायः वंशानुगत होता है। जो प्रायः गांव का ''**पटेल**'' ही होता है। गांव में पटेल की सामाजिक स्थिति सर्वोच्च मानी जाती है तथा वह ग्राम के स्वजातीय समाज एवं शासकीय व्यवस्था के बीच एक मध्यस्थ का कार्य भी सम्पादित करता है।

कमार जनजाति के राजनैतिक संगठन में **मुखिया, पटेल, पंच, कोटवार या चपरासी** पदनाम होते हैं। ग्राम एवं क्षेत्रीय स्तर पर में आयोजित सामाजिक जाति पंचायत की बैठक हेतु मुनादी एवं सूचना का आदान–प्रदान करने का कार्य जाति पंचायत के **चपरासी** द्वारा किया जाता है।

विकास एवं परिवर्तन

कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के समग्र विकास हेतु शासन द्वारा वर्ष 1981–82 में कमार विकास अभिकरण (Kamar Development Agency) गठित कर उनके सर्वांगीण विकास हेतु योजनाएं संचालित की जा रही है।

कमार निवासित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक एवं आवासीय आश्रमशाला, नि:शुल्क गणवेश वितरण, मध्यान्ह भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजना आदि शिक्षा के प्रसार हेतु संचालित है।

कमार विकास अभिकरण द्वारा कमारों की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं आय के परम्परागत स्त्रोतों के अलावा अन्य क्षेत्रों में कौशल विकास एवं स्व व्यवसाय को अपनाने के दृष्टिकोण से महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण, हॉलर मिल एवं किराना व्यवसाय हेतु अनुदान उपलब्ध कराया गया है।

स्थायी कृषि हेतु अग्रसर करने अधिकतर भूमिहीन कमार परिवारों को कृषि भूमि क्रय कर उपलब्ध कराया जाकर, भूमि समतलीकरण हेतु आर्थिक सहयोग, कृषि उपकरण, सिंचाई सुविधा, उन्नत बीज वितरण, पशुपालन एवं स्वव्यवसाय हेतु सहायता प्रदाय की गई है।

शासन द्वारा सिंचाई हेतु असाध्य पम्पों का उर्जीकरण एवं सौर विद्युत पम्प आदि के माध्यम से स्थायी कृषि में कमार परिवारों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। साथ ही स्वच्छ पेयजल हेतु हैण्डपंप आदि की व्यवस्था की गई है।

कमार क्षेत्रों में शासन द्वारा अधोसंरचनात्मक विकास अंतर्गत दूरस्थ एवं अपहुंच ग्रामों को मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु सड़क निर्माण का कार्य भी निरंतर जारी है जिससे आवागमन के साधनों में पूर्व की तुलना में वृद्धि होने के साथ साथ कमार लोगों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समय की बचत के साथ साथ आर्थिक रूप से भी सशक्त करने में सहायक है। उपरोक्त सभी योजनाओं के क्रियान्वयन से कमार विशेष पिछड़ी जनजाति भी विकास की ओर क्रमशः अग्रसर है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियों के ''छायांकित अभिलेखीकरण श्रृंखला'' क्र. 01 कमार

संचालनालय, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
सेक्टर–24, अटल नगर, नवा रायपुर, छत्तीसगढ़

Email: trti.cg@nic.in
Ph: 0771-2960530, Fax 0771-2960531